भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2541
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

सीटीएमवी और दुग्ध ग्राम

2541. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा जनजातीय आबादी के बीच कृषि और डेयरी फार्मिंग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में क्लस्टर जनजातीय आदर्श ग्राम (सीटीएमवी) और दुग्ध ग्राम की पहल में प्रगति और उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जनजातीय समुदाय सहित सभी किसानों के लिए कृषि और डेयरी फार्मिंग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए , पशुपालन और डेयरी विभाग देश भर में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): आरजीएम को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइनों पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमुख घटकों के साथ कार्यान्वित किया गया है:

(i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ii) बोवाइन आबादी के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRIs) किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किए गए है और

(iv) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना घटक के अंतर्गत, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्यमियों को 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई गई।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) एनपीडीडी (NPDD) का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख', "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा

उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

(iii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): राज्य डेयरी सहकारी संघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

(iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ (AHIDF) पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान होती है।

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करना।

(vi) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम। प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PM-SKS) और सहकारी समितियों के माधयम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशुचिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत पशु औषधी एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाला जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

इसके अलावा, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) देश में किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि सहित कृषि का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा देश भर में किसानों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं की सूची अनुबंध । में दी गई है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020-21 तक, जनजातीय उप-योजना (TSP) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)/जनजातीय उप-स्कीम (TSS) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) की एक योजना थी, जिसके तहत 5000 या उससे अधिक की कुल आबादी वाले क्षेत्रों में लगभग 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी वाले गाँवों के समूहों अर्थात् क्लस्टरों के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती थी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 में इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) में जोड़ दिया गया, जिसमें गाँवों के समूहों की अवधारणा को आदर्श ग्रामों के विकास में बदल दिया गया।

इसके अलावा, एनपीडीडी योजना के अंतर्गत, देश के दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले गाँवों में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना हेतु राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

***

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएँ

1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)
6. कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)
14. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (SMAM)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)
16. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (SH&F)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (NFSNM)
22. कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO)-तेल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO)-तिलहन (Oilseeds)
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन